



# सिद्धार्थनगर पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना ।

आज दिनांक 21.07.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया । जनसुनवाई मे कुल 17 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमे 05 भूमि विवाद तथा 03 मारपीट तथा शेष 09 अन्य विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें । प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया ।

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना खेसरहा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर ,माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में व पवीन प्रकाश, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण व अनूप मिश्रा थानाध्यक्ष थाना खेसरहा के नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2025 को खेसरहा पुलिस द्वारा वाद संख्या 237/21 ,धारा 4/25 आर्मस एक्ट से संबंधित 01 वारण्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-**

**01.प्रमात्मा प्रसाद पुत्र बाबूलाल निवासी कलनाखोर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।**

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

**1.उ0नि0 नन्दलाल यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।**

**2.का0 स्वयम्बर सिंह थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।**

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मोहाना पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर ,माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन,, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री मयंक द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रोहित कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2025 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वाद संख्या 146/15 अ०स० 10/1999 धारा 323/504 भा०द०वि० थाना मोहाना जनपद सि०नगर से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-

1.राजू उर्फ चोरे पुत्र चन्द्रशेखर साकिन जाफर जोत थाना मोहाना जनपद सि०नगर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ०नि० सर्वेश यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

2.हे०का० उदयप्रताप सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना खेसरहा पुलिस ने 25000/- रुपये का इनामिया 03 वर्षों से मफरूर वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा माननीय न्यायालय गया ।

डा0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक महोदय\* के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण अनूप कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.07.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2022 धारा 406,504,506,420 भा.द.वि. से सम्बन्धित मफरूर वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.निजाम अंसारी उर्फ निजाम हुसैन पुत्र इबारत निवासी धर्मसिंहवा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर हालमुकाम महुअवा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 01.मु0अ0सं0-68/2022 धारा -406,420,504,506 भा.द.वि.थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
- 02.मु0अ0सं0-65/2022 धारा-406,420,504,506 भा.द.वि.थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर
- 03.मु0अ0सं0-29/2023 धारा-174क भा.द.वि. थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1.उ0नि0 राकेश त्रिपाठी, रामसहाय धर दूबे थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2.का0 अखिलेश कुमार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी ।

डॉ0 पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 21.07.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम/शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र सिद्धार्थनगर मे रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर, सिंहेश्वरी इण्टर कालेज व थाना क्षेत्र उसका बाजार मे पकड़ी, उसका राजा, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही ।

### **एण्टी रोमियों टीम का विवरण-**

- 01.शाइस्ता प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02.महिला मुख्य आरक्षी सुनीता यादव एंटी रोमियो स्क्वायड ।
- 03.आरक्षी श्रीप्रकाश चौरसिया एंटी रोमियो स्क्वायड ।

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा व्यपहरण के आरोपी 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सुबेन्दु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व नरायन लाल श्रीवास्तव थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2025 को थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 113/2025 धारा 87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गोनरा मोड़ से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.मैराज पुत्र निजामुद्दीन निवासी चेचराक बुजुर्ग थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उ०नि० रामदरश यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.का० विद्यासागर यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा अपहरण के आरोपी 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद ।

डॉ० अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सुबेन्दु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व नरायन लाल श्रीवास्तव थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2025 को थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 99/2025 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को मधवापुर चौराहे से गिरफ्तार कर, सम्बन्धित अपहृता को बनामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

01.दीनानाथ केवट पुत्र स्व० महादेव केवट साकिन बारिकपार टोला केवटहिया थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. उ०नि० श्याम कन्हैया दूबे थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
02. का० आकाश यादव थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।
03. म०का० अनुराधा गुप्ता थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना बांसी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में व पवीन प्रकाश, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन व संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक- 21.07.2025 को बांसी पुलिस द्वारा माननीय वारण्ट वाद संख्या 158/2021 धारा 323, 504 भा०द०वि० से सम्बन्धित वारण्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

**गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-**

01.अखिलेश पुत्र बसन्त निवासी मोहल्ला पन्तनगर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

01.उ०नि० विजयप्रकाश दीक्षित थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

02.का० शैलेश कुमार थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विकशन” के तहत जिला मानिट्रिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 35,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विकशन” के क्रम में डॉ० अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 21-07-2025 को ST.N. 699/2023 मु०अ०सं० 163/2023 धारा- 363,366,376,506 भादवि० व 3/4, 11/12 पाक्सो एक्ट व 3(2)5,3(1)द एससी/एसटी एक्ट में थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त हरिओम उर्फ हनुमान पुत्र रामदेव निषाद निवासी गेंगटा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 363,366,376 भादवि० व 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 35,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिट्रिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट- दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆यातायात पुलिस द्वारा श्रावण मास मे कावड़ यात्रा के दृष्टिगत रुट डायवर्जन, बैरियर चेकिंग ड्यूटी मे लगे कर्मचारियो की ब्रीफिंग एवं सड़को के किनारे अवैध अतिक्रमण हटवाने व यातायात नियमो का पालन न करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

आज दिनांक 20.07.2025 को पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर डॉ० अभिषेक महाजन के आदेश के अनुपालन के क्रम मे,अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर प्रशांत कुमार प्रसाद के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात अरुणकांत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा श्रावण मास के दृष्टिगत रुट डायवर्जन/बैरियर चेकिंग ड्यूटी पुलिस बूथ/माधव तिराहा(थाना-बाँसी), लोहरौली बॉर्डर(थाना-शिवनगर डिडई), बेवा तिराहा (थाना डुमरियागंज) मे लगे सभी अधि०/कर्मचारीगण को ड्यूटी के संबंध मे ब्रीफ करते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा प्राप्त आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया एवं प्रत्येक दशा मे वाहन चालकों से सहयोगात्मक एवं विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने हेतु प्रेरित किया गया ।माधव तिराहा, बाँसी/बाँसी मार्किट,लोहरौली बॉर्डर ,डिडई, बेवा तिराहा आदि स्थानों पर पी० ए० सिस्टम से आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े बड़े वाहनों को जिनसे दुर्घटना की प्रबल संभावना/जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी उनका M. V. Act के तहत चालान कर हटवाया गया तथा दो पहिया वाहन पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा चार वाहनों मे सीटबेल्ट का प्रयोग न करना, गलत दिशा मे वाहन चलाने वालो का चालान करने समेत कुल 42 वाहनों का चालान करते हुए 51,500 रूपये शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।

## प्रेस नोट दिनांक 21.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा श्रावण मास व जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त /चेकिंग की गयी ।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 21.07.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा श्रावण मास/ कॉवड़ यात्रा व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के पर पैदल गश्त/संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की चेकिंग की गयी। आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया ।